न्यायालय जिला कलेक्टर, खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2025 /	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15 / 106 / 2025	2025 / 300	18.06.2025	30.04.2026

1– राकेश कुमार यादव पुत्र हुकमचन्द जाति अहीर निवासी ग्राम ईकरोटिया तहसील कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रार्थी

बनाम

1– हुकम चन्द पुत्र रामसिंह
2– श्रीचन्द पुत्र रामसिंह जाति अहीर निवासीयान ग्राम ईकरोटिया तहसील कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)
3– रामफूल पुत्र रोहिताश,
4– रमेश चन्द पुत्र धनसिंह,
5– सतीश पुत्र रोहिताश जाति अहीर निवासीयान ग्राम ईकरोटिया तहसील कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)
6– पंजाब नेशनल बैंक शाखा पुर जरिये शाखा प्रबंधक पुर तहसील कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)
7– केनरा बैंक शाखा किशनगढबास जरिये शाखा प्रबंधक किशनगढबास तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)
8– राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी (लेण्ड होल्डर) तहसीलदार कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)
9– उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

असल अप्रार्थीगण

10– रविन्द्र यादव पुत्र हुकमचन्द,
11– दिनेश,
12– बीना,
13– मनोज,
14– मोनिका पुत्रीयान हुकमचन्द जातियान अहीरान निवासीयान ग्राम ईकरोटिया तहसील कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

तरतीबी अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 24 दीवानी प्रक्रिया संहिता न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम में विचाराधीन उनवानी वाद राकेश कुमार यादव बनाम हुकमचन्द वगै0 वाद संख्या 138 / 2018 अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत इन्द्राज दुरूस्ती को दीगर राजस्व न्यायालय को स्थानान्तरित किये जाने बाबत।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थानांतरण प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में मुख्यतः यह कथन किया गया है, कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम में विचाराधीन वाद संख्या 138 / 2018 में अप्रार्थीयान 1 लगायत 5 तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी असल अप्रार्थी संख्या 9 को निष्पक्ष न्याय करने में बाधा पैदा कर रहे है, न्याय मिलने की संभावना नहीं है, अप्रार्थीयान प्रभावशाली व्यक्ति है, उसने राजस्व अधिकारियो से साठगांठ कर उक्त प्रकरण का निर्णय अपने पक्ष में कराने की जुस्तजु में

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

है। इसी आधार पर उक्त प्रकरण को किसी अन्य दीगर राजस्व न्यायालय में स्थानांतरित किए जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रार्थना पत्र तथा प्रस्तुत आधारों पर विचार किया गया। स्थानांतरण की शक्ति एक असाधारण शक्ति है, जिसका प्रयोग केवल उसी दशा में किया जाता है, जब अभिलेख पर ऐसी ठोस, वस्तुनिष्ठ एवं विश्वसनीय सामग्री उपलब्ध हो, जिससे यह स्पष्ट प्रतीत हो कि संबंधित न्यायालय के समक्ष निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है, अथवा न्याय के हित में प्रकरण का स्थानांतरण अनिवार्य है। केवल आशंका, अनुमान, असंतोष, या किसी पक्षकार द्वारा लगाए गए सामान्य आरोप, स्थानांतरण का पर्याप्त आधार नहीं माने जा सकते।

प्रार्थिया द्वारा यह आरोप अवश्य लगाया गया है कि अप्रार्थीयान प्रभावशाली व्यक्ति है, उसने राजस्व अधिकारियो से साठगांठ कर उक्त प्रकरण का निर्णय अपने पक्ष में कराने की जुस्तजु में है, किन्तु इन आरोपों के समर्थन में कोई स्वतंत्र, ठोस अथवा विश्वसनीय सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि अधीनस्थ न्यायालय पक्षपाती है या न्यायिक कार्यवाही निष्पक्ष रूप से नहीं चलेगी।

यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण अभी विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यदि कोई आदेश पारित किया गया है, जिससे प्रार्थियां असंतुष्ट है, तो उसके विरुद्ध विधि में उपलब्ध उपयुक्त उपाय अपनाए जा सकते हैं। स्थानांतरण का अधिकार इस उद्देश्य से नहीं है कि कोई पक्षकार केवल अपने मनोनुकूल न्यायालय चुन सके या मात्र आशंका के आधार पर कार्यवाही को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय भेज दिया जाए।

प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों से यह भी परिलक्षित नहीं होता कि तहत अदालत को प्रकरण सुनने से विधिक रूप से वंचित करने वाला कोई क्षेत्राधिकार संबंधी, वैधानिक अथवा प्रक्रियात्मक दोष विद्यमान है। न ही ऐसा कोई विशेष कारण सामने आया है जिससे यह कहा जा सके कि न्याय के हित में स्थानांतरण अपरिहार्य है।

अतः समस्त तथ्यों, प्रार्थना पत्र के आधारों तथा उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के उपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि प्रार्थिया द्वारा उठाई गई आशंकाएँ केवल सामान्य एवं आरोपात्मक प्रकृति की हैं, जो किसी विचाराधीन प्रकरण को स्थानांतरित करने हेतु पर्याप्त नहीं हैं। प्रार्थिया स्थानांतरण हेतु कोई ठोस एवं न्यायोचित आधार स्थापित करने में असफल रही है।

आदेश

फलस्वरूप, प्रार्थी राकेश कुमार यादव द्वारा प्रस्तुत स्थानांतरण प्रार्थना पत्र निरस्त/खारिज किया जाता है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा, विधि अनुसार प्रकरण संख्या 138/2018 का निस्तारण करें। प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि आवश्यक सूचना एवं अनुपालनार्थ संबंधित न्यायालय को प्रेषित की जाए।

आदेश आज दिनांक 30.04.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अतुल प्रकाश)
जिला कलेक्टर
खैरथल–तिजारा
(राजस्थान)

जिला कलेक्टर
जिला खैरथल तिजारा (राज०)